वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

(सी 105, आनंद निकेतन, साउथ दिल्ली, दिल्ली, भारत–110021)

1. उपर्युक्त याचिकाकर्ता ने डब्ल्युकेटीएल द्वारा क्रियान्वित पारेषण लाइनों के लिए बस रिएक्टर के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टर के उपयोग हेतु एनजीआर बायपास की योजना के लिए वित्त वर्ष 2024–25 से वित्त वर्ष 2028–29 से संबंधित पूँजीगत लागत और ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष याचिका दायर की है.
2. विद्युत उत्पादन स्टेशन/ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी इस प्रकार हैं:
   (ए) तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
   (बी) सदर्न डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड
   (सी) ईस्टर्न डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड
   (डी) सदर्न डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगना लिमिटेड
   (ई) नॉर्दर्न पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगना लिमिटेड
   (एफ) बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
   (जी) गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
   (एच) हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
   (आय) मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
   (जे) चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
   (के) केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
   (एल) विद्युत विभाग, पुडुचेरी सरकार
   (एम) विद्युत विभाग, गोवा सरकार
   (एन) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड
3. विद्युत–उत्पादन स्टेशन की क्षमता/लाइन की लंबाई, ट्रांसमिशन सिस्टम के बे की संख्या:

अनु.क्र.	मापदंड	क्षमता
1	डब्ल्युकेटीएल द्वारा क्रियान्वित पारेषण लाइनों के लिए बस रिएक्टर के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टर के उपयोग हेतु एनजीआर बायपास की योजना के लिए	–

4. परियोजना की स्वीकृत पूँजीगत लागत (लाख रुपए में): 1659.5 लाख (निवेश संबंधी स्वीकृति के अनुसार)
5. पूँजीगत लागत की स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण: सीईआरसी
6. वाणिज्यिक परिचालन की अनुसूचित तिथि– 02 जुलाई 2024
7. वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तिथि: 31 अक्तूबर 2025
8. वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर पूँजीगत लागत (लाख रुपए में): 864.6 लाख
9. टैरिफ का विवरण:

परिसंपत्ती	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	वर्षवार टैरिफ जो निर्धारित किए जाने की माँग की गई है				
		पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पाँचवाँ वर्ष
एनजीआर बायपास	लागू नहीं	–	42.28	131.08	144.30	140.70

10. टैरिफ निर्धारण के लिए दायर याचिका की प्रति वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर डाली गई है.
11. याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियाँ, यदि कोई हों, लाभार्थियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को एक प्रति भेजने के साथ आयोग के ई–फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की जा सकती हैं.

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 11.08.2026

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम और पदनाम

Size: 12cm (w) x 19 cm (h)